तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
11.11.21	पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष उपस्थित, वकील प्रार्थी द्वारा विपक्षी सं. 13 लावल्द फौत है इसका एक प्रार्थना पत्र पेश हुआ जिसे शा-प० किया गया। इसके परिवार वालो ने भी रास्ता दिये जाने पर सहमति दी है। एव विपक्षी सं. 8 लापता होने का सम्मन के तामिल से प्राप्त हुई जानकारी है। लापता होने से रास्ते पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नही पड़ता है। उभयपक्षो ने बहस करनी चाही। उभयपक्षो की बहस सुनी गयी। वास्ते पत्रावली आदेश हेतु नियत दिनांक 18.11.21 को पेश हो।
18.11.21	पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष उपस्थित, वकील प्रार्थी ने अपनी बहस के दौरान अपनी आराजियात आराजी नं. 1519 भूमि मे आने जाने हेतु रास्ता अप्रार्थीगण 01 लगायत 15 की आराजी नं. 1527 2344/1525, 1525, 1533 के पश्चिमी मेड व दक्षिणी दिशा की मेड़ के सहारे-सहारे 16 फीट चौड़ाई का रास्ता कायम किये जाने की इस्तदुआ की। जब कि विपक्षी संख्या 06 के अधिवक्ता ने अपने जवाब मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को खारीज किये जाने का निवेदन किया तथा साथ ही निवेदन किया कि मौका रिपर्ट मे दर्शित मार्क सी से रास्ता दिया जावे। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षो की बहस पर मनन किया एंव तहसीलदार मांडल से प्राप्त मौका रिपोट का अध्ययन किया जिससे जाहिर आया कि ... मे आवागमन हेतु कोई रेकार्डेड रास्ता विद्यमान नही है। एंव वर्तमान मे कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 A रा-का-अधिनियम स्वीकार किये जाने योग्य है अतः

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2022.01.06 13:29:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड ... मांडल जिला ...

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-A रा. का. अधिनियम स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की आराजी ग्राम-चांदरास पटवार हल्का-चाँदरास तहसील मांडल मे स्थित आराजी नं. 1519 रकबा 15 बिस्वा भूमि पर आने-जाने हेतु रास्ता राजस्व रेकार्ड मे दर्ज नही है। एंव मौके पर वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। उपरोक्त भूमि मे आने-जाने हेतु अप्रार्थीगण 01 लगायत 15 की आराजी नम्बर 1527, 2354/1525, 1525 की पश्चिमी मेड़ व आराजी नं. 1533 की दक्षिणी दिशा की मेड़ के सहारे-सहारे उक्त विपक्षीगण की आराजी मे से 16 फीट चौड़ाई का रास्ता दिये जाने का आदेश दिया जाता है। 16 फीट चौड़ाई के रास्ते मे काम मे आने वाली भूमि की D.L.C. दर की डबल राशि नकद या D.D. प्रार्थी से प्राप्त कर अप्रार्थीगण 01 लगायत 15 को भुगतान करे। अप्रार्थीगण की भूमि रास्ते मे आने वाली भूमि को राजस्व रेकार्ड मे दर्ज करते हुए नक्शे मे तरमीम किया जावे। तहसीलदार माण्डल राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद करे। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार माण्डल को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर [illegible]।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2022.01.06 13:29:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा